न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...-पत्र संख्या :-20/2021
CCMS NO:- 2021/44

दायर दिनांक: 15.02.2021

पीठासीन अधिकारी :- श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. गंगाधर आ0 जंशी जाति मीना निवासी रघुनाथगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. चतरू आ0 जंशी जाति मीना निवासी रघुनाथगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. भगवानसहाय आ0 रामपाल जाति मीना निवासी रघुनाथगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. रामसहाय आ0 रामपाल जाति मीना निवासी रघुनाथगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. शांतिबाई पत्नी स्व0 रामपाल जाति मीना निवासी रघुनाथगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. मूर्तिबाई पुत्री रामपाल जाति मीना निवासी रघुनाथगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. सूरता बाई पुत्री रामपाल जाति मीना निवासी रघुनाथगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार साहब तहसील नैनवां जिला बून्दी।

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः— अंतर्गत धारा 111,128 आर.टी एक्ट

उपस्थितिः—

1. प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 14.06.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रघुनाथगंज पटवार हल्का बालापुरा में खाता संख्या नयी 42 व पुरानी 34 की खसरा संख्या 348/609 रकबा 1 बीघा भूमि स्थित है जिसका खातेदार प्रार्थी संख्या 2 चतरू है। खाता संख्या नई 25 व पुरानी 19 की खसरा संख्या 348/607 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी संख्या 1 गंगाधर के खातेदारी की है तथा खाता संख्या नई 93 पुरानी 129 की खसरा संख्या 214/577 रकबा 5 बीघा, खसरा संख्या 348/608 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण 3 लगायत 7 के खातेदारी की है एवं खाता संख्या नई 94 व पुरानी 128 की खसरा संख्या 154 रकबा 11 बीघा भूमि प्रार्थीगण 1 लगायत 7 के खातेदारी व कब्जे की है एवं ग्राम रघुनाथगंज में ही खाता संख्या नई 226 व पुरानी 1 की खसरा संख्या 361 रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण संख्या 3 एवं 4 की खातेदारी भूमि है। यह कि प्रार्थीगण आपस में भाई बंध है जिनकी उक्त भूमि एक ही ग्राम रघुनाथगंज पटवार हल्का बालापुरा में स्थित है जिसके सभी सह खातेदार काश्तकार है। यह कि उक्त वर्णित भूमि के बारे में आसपास के पडौसी भूमिधारी विवाद करते है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान करवा रखा है फिर भी पडौसी भूमिधारी प्रार्थीगण की मेरों को तोडते है तथा भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने को आमदा रहते है। इसलिए प्रार्थीगण उक्त भूमि की श्रीमान के न्यायालय द्वारा पत्थरगढी करवाना चाहते है ताकि अनावश्यक विवाद समाप्त हो सके । प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ—पत्र, नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा ट्रेस तथा फोटोकापी रजिस्टर्ड हक परित्याग पत्र दिनांक 08.02.2008 आदि पेश किये है।

प्रार्थना के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से पत्थरगढी के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर कब्जा काश्त है। ख0सं0 348, 348/609, 348/607, 348/608 पर नाजायज तरमीम का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां में ... जैरकार है जिसकी वाद संख्या 152/2020 है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्... पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:19:36 IST
Reason: SelfAttested

हमनें प्रार्थना पत्र, शपथ—पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज तथा तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से ... होता है प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमियों के खातेदार है एवं मौके पर कब्जा काश्त है। उक्त खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में किसी प्रकार का स्थगन नहीं है। प्रार्थीगण को उनके खातेदारी की उक्त वर्णित भूमियों पर नियमानुसार पत्थरगढी करवाये जाने का अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम रघुनाथगंज पटवार हल्का बालापुरा में खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

42 व पुरानी 34 की खसरा संख्या 348 / 609 रकबा 1 बीघा भूमि खाता संख्या नई 25 व पुरानी 19 की खसरा संख्या 348 / 607 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि, खाता संख्या नई 93 पुरानी 129 की खसरा संख्या 214 / 577 रकबा 5 बीघा खसरा संख्या 348 / 608 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि, खाता संख्या नई 94 व पुरानी 128 की खसरा संख्या 154 रकबा 11 बीघा भूमि तथा खाता संख्या नई 226 व पुरानी 1 की खसरा संख्या 361 रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि पर तहसीलदार नैनवा को नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवा (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:19:36 IST
Reason: SelfAttested